

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... पप्पु पुत्र रामखिलाड़ी  
किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-07 सन्-2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-07/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2080 ग्राम उकरुंद भूमि ख0न0 234 कुल अतिक्रमित रकबा 0.0050 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0 रास्ते पर गैर सायल पप्पु पुत्र रामखिलाड़ी जाति मीना निवासी उकरुंद द्वारा उक्त भूमि को जोतकर अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, गैर सायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही गैर सायल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके स्पस्ट होता है कि गैर सायल द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.22 रुपये का 50 गुणा 11 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल प्रसार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले अदालत में सुनाया गया।</p> <p>कायम की गई।</p> <p>तहसील राजस्व लेखाक</p>	

